टी०ए० मिस केस सं० 316/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री मधु बानरा**, पिता– स्व० शंकर बानरा , ग्राम– **बासा टोन्टो** थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **टोन्टो** थाना नं०– 650,के अन्दर खाता नं०– 43 प्लॉट नं०– 2456, रकबा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता **मोनिका लुगुन**, पिता– **श्री मोटाय लुगुन** ,ग्राम– **सालीगुटु**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दारतावेज प्रस्तुत किया गया। दारतावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के परदादा के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–107 दिनांक– 6.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **मोनिका लुगुन**, पिता– **श्री मोटाय लुगुन** ,ग्राम– **सालीगुटु**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास 1,50,000.00/– (एक लाख पचास हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री मधु बानरा**, पिता– **स्व० शंकर बानरा** , ग्राम– **बासा टोन्टो** थाना- **मुफ्फसिल**,क्रेता **मोनिका लुगुन**, पिता– **श्री मोटाय लुगुन** ,ग्राम– **सालीगुटु**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल 1,50,000.00/– (एक लाख पचास हजार) में मौजा– **टोन्टो** थाना नं०– 650,के अन्दर खाता नं०– 43 प्लॉट नं०– 2456, रकबा– 0.07½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

12.02.2019   12.02.2019

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

Scanned with CamScanner